



# बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

**बिक्री सूचना**  
**चल सम्पत्ति हेतु**

**शाखा:**  
**बशारतपुर, गोरखपुर**

## सार्वजनिक नीलामी हेतु नोटिस

बैंक द्वारा निम्न वर्णित अनुबन्ध के आधार की शर्तों एवं सीजर कार्यवाही के अन्तर्गत अधिग्रहित सम्पत्तियों की नीलामी की संस्तुति करते हुए चल सम्पत्ति की नीलामी "जहां है, जैसी है और जो कुछ है" के आधार पर नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम एवं पता	बन्धक चल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि एवं नीलामी दिनांक	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/ई.एम.डी.
1	ऋणी- श्री रवि जायसवाल पुत्र श्री कपिल देव जायसवाल, पता- 433सी, गंगानगर कालोनी, बशारतपुर, गोरखपुर TL-VEH-PERSONAL-ABR खाता संख्या- 75072448123	पंजीकरण सं.- UP53 CJ4258 मेक एवं मॉडल- होण्डा अमेज 1.5 VX MT निर्माण की तिथि- 2017 गाड़ी का प्रकार- कार चेसिस सं.- MAKDF25CAHN201481 इंजन सं.- N15A14009439	रु. 219524/- + ब्याज व अन्य खर्चें नीलामी दिनांक 23.10.2024	Rs. 250000/- Rs. 25000/-

**नीलामी की नियम व शर्तें:** 01. उपरोक्त सम्पत्तियां रिजर्व प्राइस से कम पर विक्रय नहीं की जायेंगी। 02. इच्छुक बोलीकर्ता अपनी निविदा एवं EMD राशि बंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक, बशारतपुर, गोरखपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट सहित पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ दिनांक 22.10.2024 सायं 5:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। 03. निविदा शाखा-बशारतपुर में पात्र बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। 04. यह EMD धनराशि प्रस्ताव मंजूर न होने की स्थिति में वापस किये जाने योग्य (Refundable) होगी। 05. नीलामी में सफल आवेदनकर्ताओं को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत (EMD सहित) तत्काल प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक, बशारतपुर, गोरखपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। यह धनराशि उपरोक्त अनुसार जमा न किये जाने की स्थिति में बैंक द्वारा, जमा की हुई राशि, जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की नीलामी पुनः की जायेगी। 06. अधिकतम बोली की नीलामी की राशि की 75 प्रतिशत नीलामी क्रेता द्वारा 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में नीलामी क्रेता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा चल सम्पत्ति की नीलामी पुनः की जायेगी तथा नीलामी क्रेता को नीलामी में पुनः भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। 07. सफल नीलामी क्रेता को स्ट्याम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा राज्य सरकार आदि को देय धनराशि स्वयं वहन करना होगा। 08. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी के सम्बन्ध में किसी बोली को स्वीकार्य अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 09. चल एवं अचल सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अन्य जानकारी हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता शाखा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 20.09.2024 स्थान : गोरखपुर प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, बशारतपुर, गोरखपुर